

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा )

कन्हैयालाल बनाम जीतू वगै०

किस्म मुकदमा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु.न.

32 / 24

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05.07.2024	<p>पत्रावली में प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश किए जाने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री बालकृष्ण गौड द्वारा प्रार्थना पत्र टी०आई० पत्रावली वापस लेने बाबत पेश कर निवेदन किया गया कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को नहीं चलाना चाहते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)</p>